प्रेस नोट   दिनांक 16.08.2026

लूट की घटना का सफल अनावरण, 03 नफर अभियुक्त गिरफ्तार, लूट का सामान व नगदी 3450/- रुपया, 02 अदद अवैध तमंचा, कारतूस व लूट में प्रयुक्त मोटर साइकिल बरामद-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक अनूप कुमार के पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी नगर श्री नितेश प्रताप सिंह के कुशल नेतृत्व में थाना सरायलखंसी पुलिस टीम व स्वाट टीम जनपद मऊ द्वारा दिनांक 16.08.2026 को पखईपुर अण्डरपास के पास से मु0अ0स0- 278/2026 धारा 309(4), 317(2), 317(4), 61(2)ए, 318(4), 336(3), 338 बीएनएस व 3/25 आयुध अधिनियम से सम्बन्धित अभियुक्त गण क्रमशः 1. सुमित यादव उर्फ मिठाई यादव पुत्र रामध्यान यादव निवासी अछार सिंघलपुरा थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ, 2. विकास यादव पुत्र राम नरायण यादव निवासी हैदरगंज थाना मरदह जनपद गाजीपुर, 3. नितिन कुमार उर्फ शुभम पुत्र भिक्खी राम निवासी बीबीपुर थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ, को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के कब्जे से छीनी गयी एक अदद चेन पीली धातु, एक अदद पैन कार्ड तथा लूटे गये कुल- 3450/- रुपये व एक अदद एन्ड्रायड मोबाइल व एक अदद तमन्चा 315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर तथा एक अदद तमंचा 12 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर तथा घटना मे प्रयुक्त 01 अदद मोटर बरामद किया गया।

उल्लेखनीय है कि गुप्ता मेडिकल स्टोर बढुआ गोदाम के पास दिनांक 09.08.2026 को दो अज्ञात बदमाशों द्वारा वादी को कट्टा सटाकर एक अदद सोने की चेन, बीस हजार रुपया नगद व एक अदद मोबाइल लूट लिया गया था, जिसके सम्बन्ध मे वादी मुकदमा जयप्रकाश मौर्या पुत्र स्वामीनाथ मौर्या नि0 ताजोपुर डाडेपार थाना सरायलखंसी जनपद मऊ द्वारा थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 278/2026 धारा 309(4) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत कराया गया था। थाना सरायलखंसी की पुलिस टीम द्वारा सीसीटीवी फुटेज व इलेक्ट्रानिक साक्ष्यो के आधार पर अभियुक्तगण की तलाश व गिरफ्तारी हेतु लगातार प्रयास किया जा रहा था।

इसी क्रम मे थाना सरायलखंसी की पुलिस टीम व स्वाट टीम के द्वारा मुखबिर की सूचना पर 03 नफर अभियुक्त गण 1.सुमित यादव उर्फ मिठाई यादव पुत्र रामध्यान यादव निवासी अछार सिंघलपुरा थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ उम्र 22 वर्ष 2. विकास यादव पुत्र राम नरायण यादव निवासी हैदरगंज थाना मरदह जनपद गाजीपुर उम्र 19 वर्ष 3. नितिन कुमार उर्फ शुभम पुत्र भिक्खी राम निवासी बीबीपुर थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ उम्र 22 वर्ष को पखईपुर अण्डरपास के पास से दिनांक 16.08.2026 को समय करीब 8.55 बजे गिरफ्तार किया गया तथा उनके कब्जे से छीनी गयी एक अदद चेन पीली धातु ,एक अदद पैन कार्ड तथा लूटे गये कुल 3450/- रुपये व एक अदद एन्ड्रायड मोबाइल व अवैध एक अदद तमन्चा 315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर तथा एक अदद तमंचा 12 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर तथा घटना मे प्रयुक्त 01 अदद मोटर साइकिल बरामद किया गया।

कड़ाई से पूछताछ करने पर अभियुक्तो द्वारा बताया गया कि हम लोगो ने मिलकर प्लान बनाया कि जयप्रकाश मौर्या प्रतिदिन दुकान की बिक्री का पैसा लेकर आते जाते है, दुकान से आते जाते रास्ते में मिलकर लूट लेंगे। कई दिनों से हम चारो लोग (विकास, सुमित यादव, नितिन कुमार, प्रदीप कुमार) मिलकर उसकी रैकी करते थे लेकिन मौका नहीं मिल रहा था कि दिनांक 09.08.2026 को हम लोग जय प्रकाश के पीछे-पीछे बढुआ गोदाम आये तथा हम लोग अन्जाने में सर्विस रोड पर उतर गये थे देखे कि जय प्रकाश मौर्या मेडिकल स्टोर पर दवा लेने के लिये रुक गया थे, फिर हम लोग गाडी को मन्दिर के पास सर्विस रोड पर ही खड़ा किये तथा नितिन व प्रदीप गाड़ी से उतरे तथा सुमित मे बाइक मे बैठा रहा। नितिन तथा प्रदीप तमंचा लेकर कट से हाइवे पर चढकर आगे गये, जय प्रकाश मेन रोड पर ही गुप्ता मेडिकल स्टोर के सामने खड़ा होकर दवा ले रहा था कि नितिन व प्रदीप ने उसे असलहा सटाकर उसके गले से सोने की चेन व उसके जेब से बीस हजार रुपये

व एक मोबाइल छीन लिया फिर दोनो जल्दी से गाड़ी पर आकर बैठे और हम तीनों नसीरपुर मोड़ से वनदेवी कहिनौर होते हुए चले गये थे। दिनांक 10.08.2026 को रात्रि में हम सभी चारो लोग अक्षार की तरफ खेत में मिले तथा जयप्रकाश मौर्या के पास से छीने गये पैसे हम सभी ने मिलकर पांच-पांच हजार आपस में बांट लिया था तथा जय प्रकाश का मोबाइल जो हम लोगो ने छीना था नितिन के पास से मिला है तथा जय प्रकाश की छीनी गयी चेन विकास यादव के पास से बरामद हुई है, हम लोगो के जेब से जो रुपया मिला है वही पैसा बचा है और पैसा खर्च हो गया है। हम लोग इसी मोटर साईकिल से घूम फिरकर रैकी करते हैं और शाम के समय मौका मिलने पर इसी तमन्चे के बल पर लोगो को डरा धमका कर लूट कर भाग जाते हैं। आज भी हम लोग किसी व्यक्ति को लूटने के लिये सुबह से ही रैकी करने जा रहे थे कि आप लोगों द्वारा पकड़ लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण पेशेवर अभ्यस्त अपराधी है । मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2)/317(4)/ 61(2)ए/318(4)/ 336(3)/338 बीएनएस व 3/25 आयुध अधि0 की बढोत्तरी की गयी । उपरोक्त गिरफ्तार अभियुक्तगण का चालान माननीय न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग का विवरण

1.मु0अ0स0- 278/2026 धारा 309(4), 317(2), 317(4), 61(2)ए, 318(4), 336(3), 338 बीएनएस व 3/25 आयुध अधिनियम थाना सरायलखंसी जनपद मऊ।

अभियुक्त नितिन का अपराधिक इतिहास-

1.मु0अ0सं0 180/23 धारा 379,411,413,414 भादवि थाना रानीपुर जनपद मऊ
2. मु0अ0सं0 181/23 धारा 379,411,413,414 भादवि थाना रानीपुर जनपद मऊ
3. मु0अ0सं0 183/23 धारा 379,411,413,414 भादवि थाना रानीपुर जनपद मऊ
4.मु0अ0सं0 426/25 धारा 109(1),191(2),191(3),351(2) बीएनएस थाना सरायलखंसी जनपद मऊ
5.मु0अ0स0 278/2026 धारा 309(4)/317(2)/317(4)/61(2)ए/318(4)/336(3)/338 बीएनएस व 3/25 आयुध अधि0

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम पता

1.सुमित यादव उर्फ मिठाई यादव पुत्र रामध्यान यादव नि0 अछार सिंघलपुरा थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ
2.नितिन कुमार उर्फ शुभम पुत्र भिक्खी राम निवासी बीबीपुर थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ
3.विकास यादव पुत्र राम नरायण यादव निवासी हैदरगंज थाना मरदह जनपद गाजीपुर

गिरफ्तारी का दिनांक व स्थान

1.दिनांक 16.08.2026

2.स्थान - पखईपुर अण्डरपास के पास से

बरामदगी का विवरण

1.एक अदद चेन पीली धातु,
2.एक अदद पैन कार्ड
3.लूटे गये कुल 3450/- रुपये
4.एक अदद एन्ड्रायड मोबाइल अवैध
5.एक अदद तमन्चा 315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर
6.एक अदद तमंचा 12 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर
7.घटना मे प्रयुक्त 01 अदद मोटर साइकिल न0 UP70BE4587 बरामद होना।

अपहरण से सम्बन्धित 01 नफर वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, नाबालिक अपहृता सकुशल बरामद -

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में अपराध/ अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी मुहम्मदाबाद गोहना श्री जितेन्द्र सिंह के कुशल नेतृत्व में थाना रानीपुर पुलिस टीम द्वारा दिनांक 16.08.2026 को चकिया बाजार स्थित प्राइमरी स्कूल के पास से मु0अ0सं0- 85/2026, धारा 137(2), 87 भारतीय न्याय संहिता (BNS) से सम्बन्धित अभियुक्त विवेक पुत्र रामअवध निवासी ग्राम मंडुसरा, थाना रानीपुर, जनपद मऊ को गिरफ्तार कर नाबालिक अपहृता को सकुशल बरामद किया गया। अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण

1. विवेक पुत्र रामअवध निवासी ग्राम मंडुसरा, थाना रानीपुर, मऊ उम्र करीब 19 वर्ष

पंजीकृत अभियोग का विवरण-

1. मु0अ0सं0 085/2026, धारा 137(2), 87 भारतीय न्याय संहिता (BNS) थाना रानीपुर जनपद मऊ

***गिरफ्तारी का दिनांक व स्थान ***

1. दिनांक 16.08.2026
2. चकिया बाजार स्थित प्राइमरी स्कूल के पास

जनपद मऊ साइबर पुलिस टीम द्वारा पीडित का फ्रॉड हुआ कुल धनराशि- 2,30,000-/ (दो लाख तीस हजार रूपया) पीडित को वापस कराया गया

पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ श्री कमलेश बहादुर के कुशल निर्देशन में साइबर फ्राड रोकथाम व जागरुकता के तहत चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के कुशल पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी के कुशल नेतृत्व में थाना घोसी व कोतवाली नगर साइबर पुलिस टीम द्वारा यूपीआई के माध्यम से पीड़ित के खाते से फ्राड की गयी कुल धनराशि- 2,30,000-/ (दो लाख तीस हजार रूपया) MRM PORTAL के माध्यम से साइबर पुलिस टीम जनपद मऊ द्वारा वापस कराया गया।

***थानावार विवरण*-**

1.थाना घोसी साइबर पुलिस टीम द्वारा पीड़ित /आवेदक देवेन्द्र कुमार पुत्र शिवधारी निवासी कस्बा खास थाना घोसी जनपद मऊ कुल धनराशि – 1,56,000-/ (एक लाख छप्पन हजार रूपया) वापस कराया गया।

2.थाना कोतवाली नगर साइबर पुलिस टीम द्वारा पीड़ित /आवेदक आरव रघुवंशी निवासी व थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ कुल धनराशि – 74,000-/ चौहत्तर हजार रूपया) वापस कराया गया।

पुलिस अधीक्षक मऊ द्वारा आमजन से अपील की गई है कि किसी भी प्रकार की ऑनलाइन ठगी, अज्ञात लिंक, फर्जी कॉल, केवाईसी अपडेट, निवेश, लोन, पार्ट टाइम जॉब अथवा OTP साझा करने से सावधान रहें। साइबर ठगी होने पर तत्काल साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 अथवा www.cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कराएं।

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में दिनांक 16.08.2026 को जनपद मऊ के समस्त थाना क्षेत्रान्तर्गत संदिग्ध व्यक्तियों/ वाहनो व यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध व्यापक चेकिंग अभियान चलाया गया

इस अभियान के अंतर्गत 32 टीम गठित कर जनपद के 32 स्थानों पर बदल बदलकर लगभग 1120 सदिग्ध वाहनो/व्यक्तियो को चेक किया गया जिसमें यातायात के नियमों का पालन न करने पर 66 वाहनों को विभिन्न धाराओ में चालान एवं 01 वाहनों की सीज किया गया साथ ही साथ अन्य लोगों को हिदायत भी दी गयी तथा यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाने हेतु वाहन चालकों को नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित किया गया।

पुलिस अधीक्षक मऊ द्वारा आमजन से अपील की गई है कि वे यातायात नियमों का पालन करें, हेलमेट एवं सीट बेल्ट का अनिवार्य रूप से प्रयोग करें एवं गलत स्थानो पर पार्किंग नही करे तथा सुरक्षित यातायात में सहयोग प्रदान करें।

जनपद मऊ पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में जनपद के समस्त थाना क्षेत्रों में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में विभिन्न थानो द्वारा प्रभावी कार्यवाही करते हुए अलग-अलग स्थानों से अभियुक्तों की गिरफ्तारी/ बरामदगी व विभिन्न मामलों में वारंटी अभियुक्त को भी गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की गई।

थानावार कार्यवाही का विवरण –

1. थाना मधुबन पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्त विवेक यादव पुत्र चन्द्रिका यादव निवासी ग्राम जमालपुर मिर्जापुर थाना घोसी जनपद मऊ।

उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

मिशन शक्ति 5.0 द्वितीय चरण के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर परिवार परामर्श समिति की बैठक की गयी, जिसमें 44 मामलों में से 13 मामलों का हुआ निस्तारण-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में आज दिनांक 16.08.2026 को परिवार परामर्श समिति की बैठक पुलिस कार्यालय में सम्पन्न हुयी। इस दौरान परिवार परामर्श समिति के सदस्यो के समक्ष कुल 44 मामले आये, जिसमें परिवार परामर्श समिति के सदस्यो के प्रयास से 13 मामलों का निस्तारण हुआ, जिसमें 10 फाइल बन्द किया गया, दो सुलह हुआ, जिनके नाम समीना/रशीद, कंचन/श्यामू हैं। एक एफ आई आर दर्ज हुआ तथा शेष 31 मामलों में अगली तारीख दी गयी।

परिवार परामर्श समिति की बैठक में अर्चना उपाध्याय, सर्वेश दूबे, शाहिद पैरिस, मौलवी अरशद रहे। सहयोगार्थ प्रभारी महिला थाना कल्पना मिश्रा, एस आई इन्द्रभूषण पांडेय, महिला आरक्षी पूनम पाल, महिला आरक्षी राजलक्ष्मी त्रिपाठी, करिश्मा राय उपस्थित रहे।

पवित्र श्रावण मास, कांवड़ यात्रा व सावन सोमवार के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक मऊ ने 'बड़ा शिव मंदिर' परिसर का किया स्थलीय निरीक्षण, सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा व दिए आवश्यक दिशा- निर्देश

आज दिनांक 16.08.2026 को पुलिस अधीक्षक, जनपद मऊ श्री कमलेश बहादुर द्वारा पवित्र श्रावण मास, कांवड़ यात्रा तथा सावन सोमवार के दृष्टिगत श्रद्धालुओं की सुरक्षा व सुविधा के दृष्टिगत नगर स्थित सुप्रसिद्ध 'बड़ा शिव मंदिर' परिसर का निरीक्षण किया गया।

निरीक्षण के दौरान पुलिस अधीक्षक महोदय ने मंदिर के प्रवेश एवं निकास मार्ग, परिक्रमा स्थल तथा कांवड़ियों के आवागमन मार्ग का बारीकी से अवलोकन किया। सावन माह में उमड़ने वाली अपार जन आस्था और श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए कानून-व्यवस्था व सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम सुनिश्चित करने हेतु संबंधित अधिकारियों को कड़े दिशा-निर्देश निर्गत किए गए।

त्रिस्तरीय सुरक्षा चक्र: मंदिर परिसर व मुख्य मार्गों पर पर्याप्त पुलिस बल, पीएसी (PAC), महिला पुलिस कर्मी एवं एलआईयू (LIU) की सादे वस्त्रों में तैनाती के निर्देश दिए गए।

24x7 सीसीटीवी व ड्रोन निगरानी: मंदिर व आसपास के संवेदनशील क्षेत्रों को सीसीटीवी कैमरों से लैस कर कंट्रोल रूम से निगरानी करने तथा भीड़ प्रबंधन हेतु ड्रोन कैमरों के उपयोग के निर्देश दिए।

सुगम यातायात व रूट डायवर्जन: कांवड़ यात्रियों के निर्बाध आवागमन हेतु विशेष रूट डायवर्जन प्लान लागू करने व मंदिर से उचित दूरी पर व्यवस्थित पार्किंग स्थल चिह्नित करने के निर्देश दिए गए।

जलभराव व प्रकाश व्यवस्था: श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए नगर पालिका व मंदिर प्रबंधन समिति से समन्वय स्थापित कर साफ-सफाई, पर्याप्त प्रकाश व शुद्ध पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया।

अवांछनीय तत्वों पर पैनी नजर: सोशल मीडिया एवं संदिग्ध गतिविधियों पर सतर्क दृष्टि रखने तथा शांति भंग करने का प्रयास करने वालों के विरुद्ध त्वरित व कठोर कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए गए।

पुलिस अधीक्षक की अपील

"श्रावण मास व कांवड़ यात्रा आस्था और भक्ति का प्रतीक है। मऊ पुलिस श्रद्धालुओं की सुरक्षित व सुगम देव-दर्शन यात्रा हेतु पूर्णतः कटिबद्ध है। सभी नागरिक एवं श्रद्धालु शांति, सौहार्द व अनुशासन के साथ पर्व मनाएं तथा किसी भी भ्रामक खबर या अफवाह पर ध्यान न देकर स्थानीय पुलिस का सहयोग करें।"